मण्डल:- चित्रकूटधाम,जनपद:- चित्रकूट,तहसील:- मानिकपुर
न्यायालय उपजिलाधिकारी
वाद संख्या:- 01092/2019

Sudheer Singh बनाम Gram Panchayat Devkali

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201907190301092
अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 12/12/2019

अंतिम आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी रामबाई पटेल महाविद्यालय देवकली प्रबंधक सुधीर सिंह तहसील मानिकपुर व ममता सिंह पत्नी वीर सिंह निवासी कर्वी द्वारा दिनांक-01.11.2019 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्रारम्भ हुई। वादी का कथन है कि मौजा देवकली की खतौनी सन् 1423 लगायम 1428 फ0 के खाता संख्या-07 में अंकित गाटा नं0-854क रकबा 2.406हे0 का संक्रमणीय भूमिधर काबिज दखील है। उक्त भूमि पर वादी ने कहा है कि महाविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि पर महाविद्यालय का संचालन किया जाना प्रस्तावित है जो व्यवसायिक प्रकृति की भूमि है। प्रार्थी उक्त भूमि का उपयोग मात्र महाविद्यालय हेतु कर रहा है और भविष्य में भी महाविद्यालय के संचालन हेतु ही उपयोग करेगा। वादी द्वारा विवादित भूमि को लगान मुक्त कर अकृषिक व्यवसायिक प्रयोजन की भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण पर तहसीलदार मानिकपुर से जांच करायी गयी। तहसीलदार मानिकपुर द्वारा आख्या दिनांक-03.12.2019 में उल्लेख किया है कि वादग्रस्त भमि स्थित मौजा देवकली तहसील मानिकपुर जिला चित्रकूट स्थित गाटा संख्या-854क रकबा 1.203 हे0 वादी रामाबाई पटेल महाविद्यालय देवकली तहसील मानिकपुर प्रबंधक सुधीर सिंह पुत्र बालकुमार पटेल, नि0 413 कैनाल रोड़ प्रकाश नगर रायबरेली, हाल मुकाम-ग्राम देवकली तहसील मानिकपुर जनपद-चित्रकूट के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। विवादित भूमि पर मत्स्य पालन कुक्कुट पालन, बागवानी, पशु पालन तथा कृषि कार्यनहीं किया जा रहा है। भूमि सीलिंग भूदान से प्राप्त नहीं है व ग्राम सभा की नहीं है। स्वामित्व व कब्जा कोई विवाद नहीं है। भूमि अकृषिक प्रयोग में लायी जा रही है। भूमि की फोटो संलग्न है। तहसीलदार मानिकपुर द्वारा वादग्रस्त भूमि का वर्तमान कृषि रेट 16.00 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर कर दर से 1924800.00 रू0 आकलित करते हुए नियमानुसार शुल्क जमाकर अकृषित व्यवसायिक प्रयोजन की भूमि घोषित किंये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

मैंने वादी अधिवक्ता एवं नामिका अधिवक्ता राजस्व तहसील मानिकपुर को सुना एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन व परिशीलन किया। विवादित भूमि गाटा संख्या 854क क्षेत्रफल 2.406हे० ग्राम देवकली की वर्तमान खतौनी वर्ष 1423 फसली से 1428 फसली के खाता संख्या 7 पर श्रीमती ममता सिंह पत्नी वीर सिंह व रामबाई पटेल महाविद्यालय देवकली तहसील मानिकपुर संचालित रामप्यारे कृष्णावती टेक्नोलॉजिक डेवलपमेन्ट एजूकेशन एण्ड रिसर्च चैरिटेबुल ट्रस्ट प्रबंधक सुधीर सिंह पुत्र बालकुमार पटेल, निवासी 413 कैनाल रोड, प्रकाश नगर रायबरेली, हाल मुकाम-ग्राम देवकली तहसील मानिकपुर जनपद-चित्रकूट के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है गाटा संख्या 854क क्षेत्रफल 1.203हे० है जो रामबाई पटेल महाविद्यालय देवकली तहसील मानिकपुर संचालित रामप्यारे कृष्णावती टेक्नोलॉजिक डेवलपमेन्ट एजूकेशन एण्ड रिसर्च चैरिटेबुल ट्रस्ट प्रबंधक सुधीर सिंह पुत्र बालकुमार पटेल, निवासी 413 कैनाल रोड, प्रकाश नगर रायबरेली, हाल मुकाम-ग्राम देवकली तहसील मानिकपुर जनपद-चित्रकूट के नाम है। जिस पर महाविद्यालय संचालित होना है ममता सिंह के नाम अंकित भूमि पर महाविद्यालय संचालित नहीं किया जाना है। ऐसी स्थिति में ममता सिंह के नाम अंकित भूमि को छोड़कर शेष भूमि को ही व्यवसायिक घोषित किया जा सकता है। ममता सिंह पत्नी वीर सिंह सह खाते द्वारा दिनांक 12.12.2019 को शपथ पत्र देकर में कहा है कि उन्हें महाविद्यालय के निर्माण में व महाविद्यालय की भूमि को व्यवसायिक घोषित किये जाने में कोई अपत्ति नहीं है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्वामित्व व कब्जा का कोई विवाद नहीं है। वादग्रस्त भूमि कृषि एवं कृषि से जुड़े प्रयोजन उद्यानीकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन में प्रयुक्त नहीं हो रही है। तहसीलदार मानिकपुर द्वारा विवादित भूमि कृषि कार्य न होने के कारण व्यवसायिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है। आख्या के साथ फोटोग्राफ संलग्न है "उ0प्र0रा0सं0 नियमावली-2016 के नियम 85(2) में दी गयी व्यवस्थानुसार आवेदक द्वारा विवादित भूमि वर्तमान कृषि रेट पर मूल्यांकन मु0 1924800.00 की 1 प्रतिशत धनराशि मु0 19500.00 उद्घोषणा शुल्क के रूप में चालान संख्या-Q700/01/LC00024 दि0-12.12.2019 के माध्यम से राजकीय कोष में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत की गयी है। इसके अतिरिक्त न्यायालय शुल्क के रूप मु0 रू0 19500.00 का स्टाम्प दाखिल किया गया है। पत्रावली व तहसीलदार मानिकपुर की प्रस्तुत आख्या के अवलोकन से विदित होता है कि वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या-854क रकबा 1.203 हे0 में वादी द्वारा विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या-854क रकबा 1.203 हे0 भू

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

राजस्व 5.30 रूपये जो रामबाई पटेल महाविद्यालय देवकली तहसील मानिकपुर संचालित रामप्यारे कृष्णावती टेक्नोलॉजिक डेवलपमेन्ट एजूकेशन एण्ड रिसर्च चैरिटेबुल ट्रस्ट प्रबंधक सुधीर सिंह पुत्र बालकुमार पटेल के नाम दर्ज भूमि को व्यवसायिक घोषित किये जाने में कोई अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

वादी रामबाई पटेल महाविद्यालय देवकली तहसील मानिकपुर संचालित रामप्यारे कृष्णावती टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेन्ट एजुकेशनल एण्ड रिसर्च चेरिटेबुल ट्रस्ट प्रबंधक सुधीर सिंह पुत्र बालकुमार सिंह, नि0 413 कैनाल रोड प्रकाश नगर रायबरेली हाल मुकाम-देवकली तहसील मानिकपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक-01.11.2019 स्वीकार करते हुए उसके नाम मौजा देवकली तहसील मानिकपुर चित्रकूट की खतौनी सन् 1423 लगायत 1428 के खाता संख्या-07 में अंकित गाटा संख्या-854क रकबा 1.203 हे0 भूराजस्व 5.30 रू0 दर्ज भूमि को लगान मुक्त करते हुए व्यवसायिक भूमि घोषित किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। तहसीलदार मानिकपुर की आख्या दिनांक-03.12.2019 आदेश का अंग होगी। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही राजस्व अभिलेखागार में दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-12.12.2019

(संगम लाल गुप्ता)
उप जिलाधिकारी
मानिकपुर

C.F. 8 RS = 15

नकल प्रा०प०सं० 263
प्रा० पत्र का दिनांक 13/12/19
प्रा० पत्र पर लगे टिकट का शुल्क 15=00
प्रतिलिपि तैयार होने का दिनांक 13/12/19
प्रतिलिपि जारी होने का दिनांक 13/12/19
प्रतिलिपि जारी करने वाले के हस्ताक्षर

प्रमाणित प्रति
पेशकार
उप जिला अधिकारी
मानिकपुर (चित्रकूट)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner